निविदा संख्या–01 वर्ष 2019–20

मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड

मेट्रीयल सप्लाई हेतु ई–निविदा की शर्ते एवं नियम।

दूरभाष सं0–01334–239034. ई–मेल– caohar-agri-ua@nic.in

जनपद हरिद्वार में वर्ष 2019–20 (31.10.2020अथवा नये टैन्डर की स्वीकृति की तिथि तक) हेतु कृषि निवेशों के ढुलान हेतु ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिकों/ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें केवल निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार की जायेगी। ई–निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट **www.uktenders.gov.in** के द्वारा ही प्राप्त कर ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर निविदा प्रस्तुत (Submit) की जा सकती है। ई–निविदा में सम्मिलित होने के लिए फर्म के पास आंकिक हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र (डी0एस0सी0) होना अनिवार्य है जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बनवाया जा सकता है। ई0 प्रक्योरदाता के माध्यम से निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय दिनांक–02.10.2019 समय सायं 5.00 बजे तक है। डाक द्वारा भेजी गयी निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। अध्यक्ष क्रय समिति/मुख्य विकास अधिकारी के पास किसी एक निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

ई–निविदा में प्रतिभाग करने पर दूरसंचार एवं निविदा की वैब–साईट में तकनीकी खराबी आदि से फर्म को होने वाली कठिनाई हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। ई–निविदा दो भागों में स्वीकार की जायेगी, प्रथम भाग में तकनीकी प्रपत्र भाग–1 तथा दूसरे भाग में वित्तीय प्रपत्र भाग–2 होगा। ई–निविदा (तकनीकी प्रपत्र) दिनांक–04.10.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकास भवन कार्यालय कक्ष में क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। क्रय समिति की जाँच/संस्तुति उपरान्त तकनीकी रूप से सफल निविदाओं के तकनीकी प्रदर्शन में सफल होने के उपरान्त वित्तीय निविदा तीन दिन के अन्दर तिथि निर्धारित कर खोली जायेगी। जिसकी सूचना निविदादाताओं को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

जनपद हरिद्वार को विभिन्न संस्थाओं से आवंटित कृषि निवेश आदि को जनपद हरिद्वार के बहादराबाद स्थित बफर गोदाम पर लाने, बफर गोदाम से विकासखण्डों में स्थित कृषि बीज भण्डारों/न्याय पंचायत भण्डारों के लिये बीज, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन तथा अन्य कृषि निवेशों के ढुलान हेतु ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिकों तथा ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों से अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष अथवा नई निविदा स्वीकृत होने तक के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

(I) सामान्य निविदा शर्ते :–

1. निविदादाता को निम्न प्रपत्रों को मूल रूप में दिनांक–02.10.2019 को सायं–5:00 बजे तक कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, विकास भवन, रोशनाबाद हरिद्वार में व्यक्तिगत अथवा पंजीकृत डाक द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है

(अ) वैब–साईट से डाउनलोड किये गये ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1500.00+270.00जी0एस0टी0 कुल रू0 1770.00 (रू0 एक हजार सात सौ सत्तर रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार के नाम देय होगा।

(ब) धरोहर धनराशि जो मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार के नाम बंधक हो, जिसे डिमांड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में जमा किया जाना है।

(स) ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिकों/ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों द्वारा 100/–रू0 (सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का नोटराईज्ड एफेडेबिट जिसमें मूल फर्म को भारत सरकार, प्रान्तीय एवं केन्द्र शासित राज्यों में कहीं भी किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची में सूचीबद्ध न किया गया हो, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिकों तथा ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के विरूद्ध किसी प्रदेश में उक्त सामग्री आपूर्ति विषयक किसी विवाद में विधिक कार्यवाही लम्बित नहीं है अथवा निष्पादित नहीं हुई है तथा फर्म द्वारा निविदा में उपलब्ध करायी गयी समस्त सूचनायें सत्य एवं प्रमाणिक हैं का विवरण एवं यदि ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिकों/ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करती है, तो ऐसी दशा में उक्त स्टॉम्प पेपर पर फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा फर्म के सक्षम प्राधिकारी को संबंधित निविदादाता की सत्यता प्रमाणित करने हेतु फर्म के प्रतिनिधि का नाम, डाक पता, फोन एवं फैक्स नम्बर आदि का पूर्ण विवरण उपलब्ध

कराना होगा। उक्त नोटराईज्ड एफेडेबिट मूल रूप में जमा करना आवश्यक है। अपूर्ण एफेडेबिट मान्य नहीं होगा। परन्तु यदि फर्म द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही को छुपाया जाता है और भविष्य में यह बात प्रकाश में आती है, तो ऐसी स्थिति में कठोर कार्यवाही की जायेगी।

2. . निविदा में सम्मिलित ढुलान/सामाग्री (कृषि निवेश) तथा स्थानों का विवरण निम्नवत है–

क0सं0	ढुलान की जानी वाली सामाग्री, कृषि निवेश आदि का विवरण	स्थान		अनुमानित ढुलान की लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य
		कहाँ से	कहाँ तक			
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि निवेश (बीज, उर्वरक, रसायन आदि), जी0आई0 वायर, सीमेन्ट, कृषि यंत्र आदि	टी0डी0सी0, हल्दी, एन0एस0सी0, लखनऊ, काशीपुर आदि से	बफर गौदाम, बहादराबाद	15.00	0.45	रू0 1500.00 मूल्य +270 जी0एस0टी0) = 1770.00
		बफर गौदाम, बहादराबाद	समस्त विकासखण्ड/न्याय पंचायत			

3. निविदायें दो भागों में स्वीकार की जायेंगी जिसमें प्रथम तकनीकी प्रपत्र भाग–1 तथा दूसरे प्रपत्र में वित्तीय प्रपत्र भाग–2 होगा, दोनों निविदा प्रपत्रों को निर्धारित वेबसाइट पर सब्मिट किया जायेगा। तकनीकी प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाये तथा उसके साक्ष्य भी अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें। किसी भी बिन्दु के सम्मुख केवल Attached या Enclosed लिखने पर निविदा प्रथम दृष्टि में ही निरस्त कर दी जायेगी।
4. ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिको/ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों द्वारा ऑनलाईन सब्मिट किये गये तकनीकी प्रपत्र भाग–1 एवं ऑनलाईन सब्मिट अन्य समस्त प्रमाणपत्रों का भी स्पष्ट रुप से पठनीय होना नितान्त आवश्यक है। सभी प्रमाण–पत्रों में अंकित वैधता तिथि को स्पष्ट व पठनीय बनाने हेतु हाईलाइटर लगाकर हाईलाइट भी करना होगा। ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिकों/ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के सभी Documents को फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सील सहित प्रतिहस्ताक्षरित (Counter Signature) कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा प्रपत्र में कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
5. अध्यक्ष, कय समिति/मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार को किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. विभाग एवं ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिकों/ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के बीच ढुलान सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में अन्तिम निर्णय का अधिकार अध्यक्ष, कृषि निवेश ढुलान/मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार का होगा। किसी भी विधिक विवाद के निपटारे का कार्य क्षेत्र जनपद न्यायालय हरिद्वार का होगा तथा न्यायालय का फैसला अन्तिम होगा।
7. उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल 2008/यथा संशोधित 2017 के अनुसार जिन निविदादाता फर्मों की निविदा स्वीकृत नहीं होंगी उनकी अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेंगी, परन्तु जिस ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिकों/ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के अधिकृत प्रतिनिधि की निविदा दर क्रय समिति द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित कर दी जायेगी उसकी अर्नेस्ट मनी (Bid Security/Earnest Money) को कार्य पूर्ति धरोहर में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(II) तकनीकी निविदा शर्ते :–

उक्त प्राप्त निविदाएं मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकास भवन कार्यालय कक्ष में क्रय समिति द्वारा दिनांक 04 अक्टुवर, 2019 को अपराहन 3.00 बजे खोली जायेगी । निविदा देने वाले व्यक्ति उस तिथि को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है, ताकि किसी भ्रॉति/शंका यदि कोई हो, का समाधान उसी समय किया जा सके।

8. ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिको/ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को स्वयं के नाम परिवहन विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिकों/ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को ट्रकों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

9. हैसियत प्रमाण–पत्र जो कम से कम 20 लाख रुपये तक का होना अनिवार्य है जो छः माह से अधिक पुराना न हो। पुराना होने की दशा में नया प्रमाण–पत्र शीघ्र बनाकर प्रस्तुत करने का शपथ–पत्र बनवाकर प्रस्तुत करना होगा।
10. टेन्डर/निविदा अपलोड़ व खोलने के दिन यदि राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है, तो ऐसी दशा में टेन्डर/निविदा को अपलोड व खोलने की तिथि हेतु अगला कार्य दिवस निर्धारित होना समझा जाय।
11. निविदा प्रस्तुत करने वाली गैर सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम की सभी फर्म को निविदा की सभी शर्तो का शतप्रतिशत पालन करना अनिवार्य होगा।
12. हस्तलिखित एवं सशर्त दी गई निविदाएं मान्य नही होंगी।
13. ट्रकों की व्यवस्था समय से किये जाने विषयक शपथ पत्र नोटरी कराकर संलग्न करना होगा।
14. भुगतान करने पर स्रोत पर आयकर की कटौती इनकम टैक्स विभाग के समय–समय पर प्रसारित नियमों/दरों के अन्तर्गत ढुलान बिलों से कर ली जाएगी। ट्रांसपोर्ट कम्पनियों/ट्रक मालिकों/ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों द्वारा तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग–1 के साथ पैन न0 तथा पंजीयन संख्या की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
15. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि ठेके को किसी भी समय निरस्त कर दें, उनकी अवधि बढ़ा दे अथवा उसी दर पर शर्त एवं पाबन्दियों पर ठेके को अगले वर्ष के लिए अधिकतम तीन माह अथवा उसे नये वर्ष के लिए निविदा स्वीकृत होने तक जो भी पहले हो बढ़ा दे जिसके लिए संबंधित ठेकेदार बाध्य होंगे।
16. यदि निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार कार्य प्रारम्भ न करे अथवा आनाकानी करें, निर्धारित जमानत धनराशि जमा न करें। अथवा इकरारनामा न भरे तो उसकी जमानत धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
17. ऐसे व्यक्ति जिन्हें काली सूची में डाला गया हो, जिनका चरित्र संदिग्ध रहा हो निविदा हेतु पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में आने पर उनके ठेके निरस्त किये जायेंगे। ठेकेदार को निविदा हेतु प्रस्तुत किये जाने वाला चरित्र–प्रमाण पत्र (छः माह से अधिक पुराना न हो) भी संलग्न किया जाये।

(III) ढुलान सम्बंधी सामान्य शर्ते :–

18. ठेकेदार को पल्लेदारी का प्रबन्ध स्वयं करना होगा जिसके लिये उन्हें विभाग द्वारा स्वीकृत दरों से भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य–मुख्य पल्लेदारी कार्य प्रति ऑपरेशन का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता हैं :–

(अ) वैगन से उतारना एवं प्लेट फार्म पर चट्टे लगाना।
(ब) प्लेट फार्म से उठाकर ट्रक/गाड़ी में लादना।
(स) ट्रक/गाड़ी से उतार कर गोदाम में छल्ली लगाना।
(द) वैगन से उतार कर सीधे ट्रक/गाड़ी में लादना।
(य) गोदाम से निकाल कर ट्रक/गाड़ी में लादना।

दूरी का निर्णय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार लेंगे। टुकड़ों में ढुलान मान्य न होगा, ढुलान कम दूरी वाले मार्ग से किया जायेगा, लम्बी दूरी के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

19. यदि उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त बोरे/बोरी की तुलाई एवं सिलाई का कार्य भी किया जाता है तो उसे एक अलग ऑपरेशन माना जायेगा। इसका भुगतान 50 पैसे (पचास पैसे) प्रति अद्द की दर से किया जायेगा। भौतिक सत्यापन के समय बोरी की तुलाई के केवल दो ही ऑपरेशन माने जायेंगे तथा उन पर मैदान दर से ही पल्लेदारी की दरें लागू होगी।

(IV) वित्तीय/अन्य निविदा शर्ते–

20. उपरोक्त निविदा खुलने के उपरान्त कोई भी निविदा तब तक वापस नहीं की जायेगी जब तक इन पर अन्तिम निर्णय समिति द्वारा न किया जाये। निविदा वापस माँगने की दशा में निविदादाता द्वारा दी गई धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
21. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसे स्वीकृति प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर एक मुश्त धनराशि ₹75,000.00 (रू0 पिछत्तर हजार) मात्र जमानत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करनी होगी।
22. जनपद में एक ही ठेकेदार को ढुलान की स्वीकृति दी जायेगी। किसी भी प्रकार का टैक्स (धर्मकांटा चार्ज, पुल टैक्स, नगर पंचायत टैक्स आदि देय नहीं होगा)।

23. ढुलान कार्य के दौरान मार्ग में कृषि निवेशों को किसी भी प्रकार की छति होने पर उसकी कीमत की वसूली ठेकेदार से की जाएगी तथा भविष्य में बिलों में यदि कोई कमी/अनियमितता प्रकाश में आती है तो उसकी वसूली ठेकेदार की चल–अचल सम्पत्ति से की जायेगी।
24. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दरों में वृद्धि होने पर निविदा दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठेकेदार को डीजल आदि की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी।
25. निविदादाता को निविदा के साथ अपना स्थायी पत्र व्यवहार का पता व अपने स्थायी कार्यालय और प्रतिनिधि का पूरा व स्पष्ट पता देना होगा ताकि निविदा स्वीकृत होने के बाद ट्रकों आदि की मांग के लिए उनसे सुगमता पूर्वक सम्पर्क किया जा सकें। ढुलान ठेकेदार की आपूर्ति स्थल पर या तो स्वयं रहना होगा या अपना प्रतिनिधि रखना होगा जो मांगानुसार ट्रक उपलब्ध करा सकें। मांगानुसार ट्रक उपलब्ध न होने पर ढुलानकर्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे।
26. जिस फर्म के अधिकतम मदों में न्यूनतम दर होने की दशा में उसी फर्म को निगोशिएशन हेतु आदेशित किया जायेगा।

अन्तिम निर्णय मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार का होगा।

(डा0 विकेश कुमार सिहं यादव)
मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

तकनीकी निविदा हेतु टैण्डर फार्म

1– निविदा फार्म कय की विभागीय रसीद (डी–2) की प्रति–
2– विभागीय रसीद (डी–2)/बैंक ड्राफट/एफ.डी.आर./बैंकर चैक/बैंक गारन्टी–
3– हैसियत प्रमाण–पत्र की प्रति–
4– चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति–
5– पैन नम्बर की फोटो प्रति–

संलग्न :–

हस्ताक्षर
पूरा नाम–
पत्राचार का पता–
पिन कोड–
मो0न0–
ई–मेल यदि हो तो–

निविदा फार्म का मूल्य रू. 1500+270 जी0एस0टी0 कुल 1770.00

ई–निविदा संख्या– 01 कृषि निवेशों के ढुलान
वर्ष 2019–20
वित्तीय प्रपत्र भाग–2

मैं/हम दिनांक.................................या अथवा वर्ष 2019–20 (31.10.2020 तक) या नये टैण्डर की स्वीकृति की तिथि तक के लिये कृषि सामग्रियों की ढुलाई एवं पल्लेदारी के निमित जनपद हरिद्वार के लिये मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार के टैण्डर नोटिस संख्या............ दि0........................ में वर्णित शर्तो को स्वीकार करते हुए निम्न दरें प्रस्तुत करता हूँ/करते है। साथ ही धरोहर धनराशि रू0 ....00(.................... रू0)मात्र मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार के पदनाम प्रतिश्रुति करने के सम्बंध में बैंक ड्राफट संख्या.................................दि0.............................. ठेके की अनुबन्ध या पूर्ण जमानत की धनराशि जमा नही करूगॉ/करेगें, तो उपरोक्त जमा की गई धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

<u>मैदानी क्षेत्र हेतु ढुलान दरें रूपये में</u> :–

1– फुल ट्रक(60 कु0) प्रति किलोमीटर..
2– फुल ट्रक(90 कु0) प्रति किलोमीटर..
3– फुल ट्रक(150 कु0) प्रति किलोमीटर..
4– 60 कु0 से कम की स्थिति में प्रति कु0 प्रति किलोमीटर फुटकर दर या फुल ट्रक भार जो भी कम हो.......................................
5– कृषि रक्षा रसायन प्रति नग(दस किलोग्राम/लीटर) प्रति किलोमीटर..

<u>पल्लेदारी की दरें रूपये में</u>

(अ) 1 से 20 किलोग्राम तक की पैकिंग के लिये..
(ब) 21 से 50 किलोग्राम तक की पैकिंग के लिये..
(स) 51 से 100 किलोग्राम तक की पैकिंग के लिये..

निविदाता के हस्ताक्षर
मोबाईल नम्बर

फैक्स नम्बर

पूरा नाम......................................

पत्राचार का पता.......................